>

Title : Further discussion on the motion for consideration of the National Green Tribunal Bill, 2009, moved by Shri Jairam Ramesh on the 15th March, 2010 (Discussion not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sandeep Dikshit to continue.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सन्दीप दीक्षित ।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। हाऊस चलने दीजिये।

â€¦(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पुन: बोलने का मौका दिया। कल शाम को जब मैं बिल पर चर्चा कर रहा था तो मैंने 2-3 महत्वपूर्ण चीजों की तरफ आपके माध्यम से सदन और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। पहली बात यह है कि ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये। हाऊस चलने दीजिये। जितनी बात थी, आप लोगों ने कह दी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : उपाध्यक्ष जी, इस बिल का व्यापक स्तर पर असर हो सकता है। पर्यावरण से संबंधित तकनीकी बातों पर जो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसका असर हो सकता है, क्या यह बिल और उसके अंदर के प्रावधान इन सब को ठीक तरह से कवर कर पायेंगे या नहीं? या जैसा मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 20 मैम्बरान और पांच अलग-अलग जगहों के जो बना रखे हैं, 15 या 20 मैम्बर्स रहेंगे, वे अपने में पूर्ण होंगे? इस बिल के अंदर जो जो प्रावधान दिये जा रहे हैं, जो चीजें कवर की जा रही हैं, उन्हें कवर करने के लिये मैंने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था कि पर्यावरण से तकनीक और इन्सान के बीच के रिश्तों से संबंधित चीजें हैं, आने वाले समय में पेचीदगियां आयेंगी। आज हर पहलू में कहीं न कहीं मशीन है, रसायन हैं, कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में हम पूर्ण तरह से नहीं जानते हैं, इन्सानी जीवन पर उनका क्या असर पड़ेगा? क्या इस संबंध में आने वाले समय में जो चुनौतियां आयेंगी, जो कानूनी और न्यायिक होंगी जिनके अंदर लोगों को इस बिल के द्वारा संरक्षण देना पड़ेगा, क्या ये सब अपने में पूर्ण होंगे?...(व्यवधान) मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अभी यह शुरुआत है, क्या इससे आगे बढ़े ? मैं यह नहीं कहूंगा कि इसकी शुरुआत ठीक नहीं है लेकिन उससे आगे बढ़कर पर्यावरण से संबंधित इन्सानी जीवन पर अगर इससे संबंधित कोई कार्यक्रम आगे चलाते हैं, यह बात हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुये, जनसंख्या को देखते हुये...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या बोलना चाहते हैं, सुनिये। कृपया सब बैठ जाइये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, they raised the issue in the morning. The House was to be adjourned twice on this issue.

As I have already submitted – I am also submitting it now – the Government will look into the matter. We have already said that. Beyond that, what do you want? It is because, we will have to conduct the proceedings; the National Green Tribunal Bill is there; that has to be passed. Beyond that, the Government cannot say anything. â€¦ (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए।...(व्यवधान) यह एक गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Deputy-Speaker, Sir, because it has been brought to the notice of the Government, at this moment I can say that the Government will look into the matter....(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदय, अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि हमें बिल पारित करना है। निश्चित बिल पारित करना है, बिल सभी को पारित करना है। कोई समय सीमा तय नहीं है कि साढ़े तीन बजे ही उठें, चार बजे ही उठें। आपका केवल एक ही बिल लगा हुआ है और वह भी अधूरा है। एक विषय जिसे लेकर सभी लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं और अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा?...(व्यवधान) महोदय, जब सदन स्थगित हुआ था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, जब सदन स्थगित हुआ था तो सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था।...(व्यवधान) महोदय, आप मेरी तरफ देखिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, जब सदन स्थगित हुआ था तो सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री ने कहा था कि सब लोगों को दो-दो मिनट बोलने दिया जाए।...(व्यवधान) ऐसे विषय बहुत बार उपस्थित होते हैं और दो-दो मिनट बोलने के बाद सब शांत हो जाते हैं। आप सबको बोलने का मौका दे दें और उसके बाद बिल पारित हो जाए।...(व्यवधान) योगी जी का सुबह से नोटिस है। ...(व्यवधान) योगी जी को बोलने दें, उसके बाद वे बोल लें।...(व्यवधान) फिर बिल पारित हो जाएगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनिए, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मंत्री जी बोल रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): क्या रैली सरकार से पूछकर होगी, क्या सरकार रैली की परमीशन लेगी? इस तरह से नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(Interruptions) â€¦ **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 31. Shri Sandeep Dikshit, you may continue your speech.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिए मैंने बुलाया है।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। सिर्फ संदीप दीक्षित जी की बात रिकार्ड पर जाएगी।

*(Interruptions) â€¦ **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 12th April, 2010 at 11 a.m.

14.11 hrs.

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, April, 12, 2010/Chaitra 22, 1932 (Saka).

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

** Subsequently sittings fixed for the 12th and 13th April, 2010 were cancelled vide office Memorandaum No.37/1(IV)/2010/T dated 23rd March, 2010. The Lok Sabha then adjourned to meet on Thursday, April 15th ,2010/Chaitra 23, 1932 (Saka).at 11.00 a.m.